

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (परीवीक्षाधीन) कार्मिका का स्वयं की प्रार्थना पत्र पर उनके नाम के सम्मुख अंकित असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पद	कार्यालय का नाम	असाधारण अवकाश की अवधि/कारण
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति शुभलक्ष्मी मीना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	27.07.2016 से 14.02.2017 तक (कुल 203 दिवस)

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 के अनुसरण में 203 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा 173 दिवस असाधारण अवकाश के बराबर परीवीक्षा अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/प्रसाविका/ए-2/भरतपुर-जोन/2024/84

दिनांक:- 25-04-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा (ग्रुप-3) स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
6. उपस्वाकेन्द्र, फुलवाडा, खण्ड हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 8. प्रभारी सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6702199



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 2024.04.25 09:23:39 IST
Reason: Approved